2018

3-2-16

हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग

File No.- FFE-B-F(2)-9/2015 **Order** Dated Shimla-171002, the

Sub :- Diversion of 1.45 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of link road from Tissa to Buain under PMGSY, (Km 0/00 to 2/230) within the jurisdiction of Churah Forest Division, District Chamba, H.P.

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत जारी स्वीकृति पत्र संख्या **9-HPB 553/2010/2336** **दिनांक 21-01-2016** के परिणामस्वरुप राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित **1.45** हैक्टेयर वन भूमि को **HPPWD** को उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्ते पूरी करने पर प्रदान करते हैं।

1 वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।

2 प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार D-671/52-D-1(Khakhri DPF) में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त राशि से कुल 3.00 है0 वन भूमि में पौधे लगाकर किया जाएगा। प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षों के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिए।

3 एन.पी.वी. की दरों में अगर कोई बढोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढी हुई दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।

4 मोटर मार्ग के निर्माण कार्य के पूर्ण होने के पश्चात् जहां–जहां संम्भव हो, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर सड़क के दोनो ओर तथा Central Verge पर वन विभाग की देख–रेख में वृक्षारोपण तथा उसका 7 से 10 वर्षों तक रख–रखाव किया जाएगा।

5 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों / स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।

6 प्रयोक्ता अभिकरण वन विभाग की देख–रेख में प्रत्यावर्ति भूमि का RCC Pillars लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Pillar no., Forward तथा Back bearing भी अंकित किया जाएगा।

7 प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिए रसोई गैस / कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।

8 परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी।

9 वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा।

10 कम से कम वृक्षों का कटान /पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 144 से अधिक न हो।

11 परियोजना निर्माण मे उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय अधिकारी की देख–रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।

12 यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश /अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं, तो उनके अधीन जरुरी अनुमति लेना प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

Contd./2

SIFCN
APCCF(FCA)

प्र०मु०अ०वा० शिमला
पावती सं० 4435
दिनांक 5.2.16

PCCF
3/2

13 ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे।

14 उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाए जाने पर, मन्त्रालय इस स्वीकृति को स्थगित / रद्द कर सकता है। वन विभाग हि0 प्र0 के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी ।

आदेश अनुसार
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला –2

Endst. No FFE-B-F(2)-9/2015 (FCA) Dated, Shimla-171001 the,...3-2-2016

Copy is forwarded to :-

1. Additional Director General of Forests, MoEF, Paryavaran Bhawan, Aliganj, Jorbagh Road, New Delhi – 110003.
2. Additional Principal Chief Conservator of Forests, Regional Office, Dehradun, Pearson Road, New Forest, Dehradun.
3. The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4. The Deputy Commissioner, Chamba, Distt., Chamba, Himachal Pradesh .
5. The Chief Conservator of Forests Chamba, Distt. Chamba, HP.
6. DFO Churah Forest Division, Distt., Chamba, H.P.
7. Executive Engineer/Asstt. Engineer, HPPWD Churah, Distt. Chamba HP.
8. Guard File.

2/2/16

(D.C.Rana)
Addl. Secretary (Forests) to the
Government of Himachal Pradesh.

15 FEB 2016

Endst. No.Ft.48-2018/2010(FCA), Dated Shimla-1, the

Copy is forwarded to CCF (IT) for information and further necessary action. He is requested to upload the formal order as issued by Addl. Chief Secretary (Forest) to GoHP on the Web Site of Forest Department.

S A

23/2

Nodal Officer-cum-Addl. Pr. CCF (FCA)
O/o Pr. CCF, H.P. Shimla-1